न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 5150-दो/15

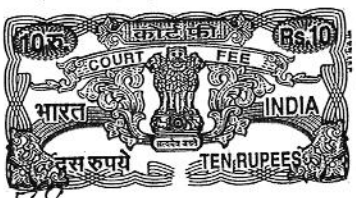

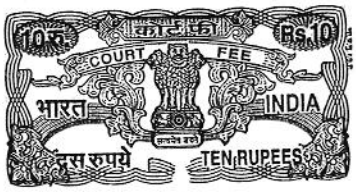

श्री अवधेश सिंह द्वारा पेश। 6/11/15

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1- सुदर्शन तनय श्री भोला उम्र 80 साल, पेशा खेती,

2- ठमिया पत्नी स्व0 श्री बुद्धी पटेल, उम्र 32 साल,

3- रामावतार तनय स्व0श्री बुद्धी पटेल, उम्र 40 साल,

4- अशोक तनय स्व0श्री बुद्धी पटेल, उम्र 35 साल,

5- राघवेन्द्र पिता स्व0श्री बुद्धी पटेल, उम्र 30 साल,

6- राममोहन तनय श्री जगन्नाथ उम्र 32 साल,

7- मोहनलाल तनय श्री जगन्नाथ उम्र 65 साल,

-------सभी निवासी ग्राम धतुआ पोस्ट अहिरगांव, तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)-

---निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1- ललितकिशोर पिता श्री अयोध्या उम्र 35 साल,

2- सन्तोष तनय श्री अयोध्या उम्र 30 साल,

----- दोनों निवासी ग्राम धतुआ, पो0 अहिरगांव, तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)-

----अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 125/अपील/84-85 में पारित आदेश दिनांक 09/10/2015 के विरूद्ध निगरानी याचिका, अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

आवेदकगण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार निम्न है:-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवम् प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R- 5152/II/15 जिला रतना

स्थान तथा दिनांक	सुदर्शन - कार्यवाही तथा आदेश भोलेरकुमार	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-01-16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री अवधेश सिंह को ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण क्रमांक 125/अपील/84-85 में पारित आदेश दिनांक 9-10-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 9-10-15 का परिशीलन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी क्रमांक 2 एवं 3 की मृत्यु क्रमशः दिनांक 22-7-12 एवं 13-10-93 को हो जाने से उनके वारिसानों को रिकार्ड पर लिये जाने संबंधी आवेदन को अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 9-10-15 से यह अंकित करते हुए निरस्त किया गया है कि "अपीलार्थी गणों की मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी तथा आवेदक प्रति अपीलार्थी की मृत्यु भी काफी समय पूर्व हो गयी थी किन्तु आवेदकगण द्वारा मृतक पक्षकारों की जानकारी एवं उनके वैधिक वारिसानों को अभिलेख पर लेने की जानकारी समय पर नहीं दी गई। उक्त तथ्य की जानकारी आवेदक अयोध्या प्रसाद के वारिसान द्वारा दी गई थी दिनांक 14-8-15 को अयोध्या प्रसाद के वारिस स्वयं न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए थे। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक द्वारा मृतक के वारिसानों के बजाए वानदान की सत्यप्रतिलिपि तथा मृतक पक्षकारों के मृत्यु प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किये तथा वारिसानों की जानकारी विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 5 के आवेदन के साथ दिन प्रतिदिन का भी लेखा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन को निरस्त किया	

[कृ. प. उ.

R-5154/दो/15 चेतना

स्थान तथा दिनांक	प्रदर्शन कार्यवाही तथा आदेश भोजराज	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

जाकर अनावेदक के आपत्ति आवेदन को स्वीकार करते हुए अपील प्रकरण को उपसमित (एबेट) किये जाने का आदेश दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश में अंकित तथ्यों एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया है। प्रकरण में मृतक अपीलार्थी गणों के विधिक वारिसों को अभिलेख पर न लिया जाकर यदि उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा बिना गुण दोष पर आदेश दिये मात्र विलम्ब से पक्षकारों को जानकारी देने एवं सजरा खानदान की जानकारी न देने के आधार पर यदि प्रकरण को निरस्त माना जाता है तो सहज न्याय के सिद्धान्तों का हनन तो होगा ही साथ ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का भी उल्लंघन होगा वहीं पक्षकार वास्तविक न्याय से भी वंचित होंगे।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 9-10-15 निरस्त किया जाता है तथा न्यायहित में अपर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसों को अभिलेख पर लिया जाकर उन्हें सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में गुणदोष पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित करें। सहज न्याय के लिए यदि सजरा खानदान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो उसे पक्षकारों से प्राप्त किया जावे। पक्षकारों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा चाहे जाने पर सम्पूर्ण चाही गई जानकारी एवं अभिलेख प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधी० न्याया० को दी जावे। पक्षकार उपस्थित हैं। द० पा० रि० हो।

सदस्य 12-1-16